संख्या- 14/2015 /1621 /58-2015-259/2015

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 03 अगस्त, 2015**

विषय :- **अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उद्यान शाखा के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित योजना "4401-119-03-0301-विभाग की स्थापित प्रक्षेत्र/पौधशाला/उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान यत्रों व अन्य मशीन का क्रय" के मानक मद 26-'मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र' में प्राविधानित धनराशि रू0-1200 हजार के सापेक्ष रू0-816 हजार (रूपये-आठ लाख सोलह हजार मात्र) धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-71/बजट-आयोजनेत्तर/2015-16, दिनांक 29.6.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में उद्यान शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक के सम्मुख संचालित चालू योजनाओं में 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-1200 हजार(रूपये-बारह लाख) के सापेक्ष रू0-816 हजार (रूपये-आठ लाख सोलह हजार) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	कोड सं0/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0301-विभाग की स्थापित प्रक्षेत्र/ पौधशाला / उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान यत्रों व अन्य मशीन का क्रय	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयत्र	1200	816
		1200	816

(रूपये-आठ लाख सोलह हजार मात्र)

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.3.2015 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि से वही कार्य कराये जायेंगे, जिस हेतु योजना शासन को भेजी गयी है। योजना से भिन्न कार्य कराया जाना वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(4) प्रश्नगत क्रय में शासन स्तर से समय-समय पर जारी भण्डार क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) क्रय की जाने वाली मशीनों/उपकरणों के सापेक्ष धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा, जब क्रय की जा रही वस्तु की आपूर्ति निर्धारित मानक व विशिष्टियों के अनुरूप हो।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी नहीं होगी तथा क्रय के लिए पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7) क्रय हेतु जारी वस्तु की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति के बाद आपूर्तिकर्ता के पक्ष में एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा शासन के प्रचलित आदेशों से भुगतान करने के लिए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक या पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा उक्त पत्र में इंगित मशीन/उपकरण क्रय करने के बाद अवशेष बची धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

(9) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के लिए आवश्यकता का सम्यक पूर्वानुमान कर लिया गया है तथा आवश्यकता से अधिक परिमाण (मात्रा) में क्रय नहीं किया जायेगा।

(10) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.6.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(12) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.3.2015 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग एवं एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होगें

(13) शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्धारित प्रपत्र पर मासिक व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(14) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.3.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत् किया जा रहा है।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-14/2015-1621(1)/58-2015, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।